कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त, कांकेर (छत्तीसगढ़)

ccfkanker3@gmail.com (07868) 222014 (07868) 222472

क्रमांक/मा.चि./न.क्र.150/2020/3105 कांकेर, दिनांक 27/5/2020

प्रति,

वनमण्डलाधिकारी
नारायणपुर वनमंडल
भानुप्रतापपुर

विषय :— मेसर्स श्री बजरंग पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड द्वारा छोटेडोंगर (छोटेडोंगर आयरन ओर माईन) जिला नारायणपुर में प्रस्तावित (लीज एरिया 57.00 हे. पहुँच मार्ग 9.02 हे.) कुल रकबा 66.02 हे. खनिपट्टा स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने बाबत्।

संदर्भ :— आपका पत्र क्रमांक/मा.चि./967 दिनांक 20.02.2020

----:⊠:----

विषयांकित संदर्भ में लेख है कि प्रकरण में आवेदनकर्ता श्री बजरंग पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड रायपुर द्वारा ग्राम छोटेडोंगर के वन क्षेत्र में प्रस्तावित (लीज एरिया 57.00 हे. पहुँच मार्ग 9.02 हे.) कुल रकबा 66.02 हे. खनिपट्टा स्वीकृति हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत व्यपवर्तन प्रस्ताव तैयार कर आपके संदर्भित पत्र के माध्यम से इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है। प्रेषित प्रस्ताव का परीक्षण उपरांत निम्नानुसार कमियॉ पाई गई है :—

1. फार्म—ए के पार्ट— II के अ.क्र.2 में प्रस्तावित क्षेत्र का वैधानिक स्थिति में कुल क्षेत्र 66.02 हे. को आरक्षित वन बताया गया है, जबकि चेकलिस्ट के कडिका क्रमांक—3 के अनुसार 02 नारंगी वन कक्ष में प्रस्तावित है जिसका रकबा 4.150 हे. है।
2. फार्म—ए के पार्ट— II के अ.क्र.4 में प्रस्तावित क्षेत्र का घनत्व 0.6 उल्लेखित है, जबकि चेकलिस्ट के कडिका क्रमांक—7 के बिन्दु क्रमांक—4 के उप बिन्दु (III) के अनुसार घनत्व 0.5 से 0.7 उल्लेखित किया गया है।
3. चेकलिस्ट के कण्डिका क्रमांक—12 में वृक्ष विदोहन से संबंधित नवीनतम प्रपत्र में जानकारी नहीं दी गई है।
4. चेकलिस्ट के कण्डिका क्रमांक—16 के अनुसार गैर वानिकी प्रयोजन हेतु प्रस्तावित वन भूमि के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना तैयार की गई है, जिसमें भूमि का प्रकार राजस्व भूमि उल्लेखित है। वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु चयनित निजी भूमि के खसरा क्रमांक को कक्ष क्रमांक बताया गया है। प्राक्कलन में उपचार मानचित्र संलग्न नहीं है।
5. चेकलिस्ट के कण्डिका क्रमांक—26 वनाधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन में भाग—I एवं भाग—IV संलग्न नहीं है। वनमंडलाधिकारी का भाग— II के बिन्दु—7 के उप बिन्दु (VII) में प्रजातिवार वृक्षों की परिगणना संलग्न बताई गई है, किन्तु पृष्ठ संख्या का उल्लेख नहीं किया गया है तथा बिन्दु—7 के उप बिन्दु (XI) में वनस्पति और प्राणीजात की दुर्लभ/संकटापन के कॉलम में नहीं का उल्लेख किया गया है। बिन्दु—10 के उप बिन्दु (II) के अनुसार क्षतिपूरक वनीकरण के लिए चयनित की गई क्षेत्र का मैप को संलग्न बताया गया है किन्तु पृष्ठ क्रमांक उल्लेखित नहीं किया गया है और ना ही प्राक्कलन में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु चयनित की गई मैप संलग्न है

6. चेकलिस्ट के कण्डिका क्रमांक—34 के अनुसार वन अधिकार मान्यता वितरण से संबंधित कलेक्टर द्वारा जारी किये जाने वाले प्रदर्श—''स'' ही संलग्न है, जबकि साथ में Annexure-I, Annexure-II संलग्न किया जाना आवश्यक है, जिसे कलेक्टर की आई डी से भारत सरकार पर्यावरण वन के वेबसाईट पर अपलोड किया जाना है, जो अपलोड नहीं है।

7. चेकलिस्ट के कण्डिका क्रमांक—37 के अनुसार कैम्पा पत्र संलग्न नहीं है। साथ ही वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्रत्याशा मूल्य (NPV) राशि की ईको—क्लास के अनुसार गणना पत्रक संलग्न नहीं हैं।

8. वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत केन्द्र सरकार से प्रथम चरण की स्वीकृति लेने बाबत् प्रस्ताव के साथ वांछित जानकारी दस्तावेजो का विवरण (चेकलिस्ट) को टीप के साथ पूर्ति नहीं की गई है।

उपरोक्त कमियों की पूर्ति हेतु प्रस्ताव मूलतः आपकी ओर वापस की जाती है।

संलग्न :— **1. प्रस्ताव 05—05 प्रतियों में।**

2. प्रस्तावित स्थल का डी.जी.पी.एस. सर्वे रिपोर्ट 05—05 प्रतियों में।

3. वैकल्पिक वृक्षारोपण स्थल का डी.जी.पी.एस.सर्वे रिपोर्ट 05—05 प्रतियों में।

4. माईनिंग प्लान 05—05 प्रतियो में।

मुख्य वन संरक्षक
कांकेर वृत्त, कांकेर

पृ.क्रमांक/मा.चि./न.क्र.150/2020/3106 **कांकेर, दिनांक** 27/5/**2020**

प्रतिलिपि :— निदेशक, श्री बंजरग पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड, ग्राम बोरझारा, उरला—गुमा रोड़, उरला ग्रोथ सेन्टर रायपुर 493221 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। प्रकरण में उपरोक्तानुसार पाई गई कमियों का निराकरण कराकर संशोधित प्रस्ताव वनमंडलाधिकारी नारायणपुर वनमंडल के माध्यम से इस कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य वन संरक्षक
कांकेर वृत्त, कांकेर